

दुग्ध बिक्री केन्द्र (मिल्क बूथ) की स्थापना हेतु नियम एवं शर्तः—

(निम्न अनुबन्ध 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर सम्पादित होगा)

1. सम्बन्धित दुग्ध संघ स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में दुग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायगी।
2. वह भूमि जिस पर दूग्ध बिक्री केन्द्र स्थापित किया जाना है उसका मिल्क बूथ स्थापना हेतु दुग्ध संघ के साथ कम से कम 07 वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा।
3. दूग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर की जायगी।
4. ऋण की वापसी हेतु दुग्ध बिक्री केन्द्र का किराया निर्धारित किया जायेगा। दुग्ध बिक्री केन्द्र में स्थापित सम्पत्ति यथा मिल्क बूथ, डीप फ्रिज एवं बिली कूलर आदि का स्वामित्व दुग्ध संघ का होगा। 07 वर्ष की अनुबन्ध अवधि समाप्ति के पश्चात दुग्ध बिक्री केन्द्र आवंटी तथा दुग्ध दुग्ध की आपसी सहमति से स्थापित दुग्ध बिक्री केन्द्र को यथावत रखा अथवा दुग्ध संघ द्वारा स्थापित सम्पत्ति को उठाया जा सकेगा।
5. दुग्ध बिक्री केन्द्र आवंटी द्वारा प्राप्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
6. मिल्क बूथ में स्थापित डीप फ्रीज एवं वीजी कूलर में यदि कोई खराबी आती है तो उसको आवंटी/संचालक द्वारा ठीक कराया जायेगा।
7. दुग्ध बिक्री केन्द्र के विद्युत बिल का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।
8. ऐसे इच्छुक लाभार्थी जिसके पास भूमि उपलब्ध नहीं है द्वारा दूग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन करने पर दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले दुग्ध बिक्री केन्द्रों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत स्थापित दुग्ध बिक्री केन्द्र पर ऑचल दूध एवं दुग्ध पदार्थ, बेकरी पदार्थ एवं सामान्य स्नेक्स के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का विक्रय नहीं किया जायेगा साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर सुझाये गये उत्पादों का विक्रय भी बूथ के माध्यम से किया जायेगा।
10. दुग्ध बिक्री केन्द्र पर पान, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू युक्त पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक का विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
11. दुग्ध बिक्री केन्द्र को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय पर खोलना तथा बन्द करना अनिवार्य होगा।
12. दुग्ध बिक्री केन्द्र आवंटी को दुग्ध संघ का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
13. यदि आवंटी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो बूथ का आवंटन निरस्त करने का अधिकार बूथ आवंटनकर्ता के पास सुरक्षित है।

नोटः—दुग्ध बिक्री केन्द्र हेतु धरोहर राशि के रूप में दुग्ध संघ अन्तर्गत पूर्व प्रचलित दरों एवं नियम व शर्तों के अधीन जमा करायी जायेगी तथा यदि दुग्ध संघ उक्त अनुबन्ध में कोई अतिरिक्त शर्त सम्मिलित करना चाहता है तो कर सकता है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०.....

मिल्क बूथ हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक श्री / सुश्री / श्रीमती.....
2. पिता / पति का नाम.....
3. लिंग (स्त्री / पुरुष)..... आयु..... आवेदक का नवीनतम
4. आवेदक का पता..... स्वहस्ताक्षरित फोटो
(क) वर्तमान पता.....
.....
(ख) स्थायी पता.....
.....
5. दूरभाष लैड लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर.....
6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या.....(फोटो प्रति संलग्न करें)
7. स्वयं की भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं.....
8. यदि स्वयं की भूमि उपलब्ध है तो मिल्क बूथ स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पता:—
.....
.....
9. यदि मिल्क बूथ स्थापना हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है तो भू-स्वामी के साथ कम से कम 05 वर्ष का अनुबन्ध पत्र संलग्न करें।

मुझेदुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विक्रय के लिए मिल्क बूथ संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से मान्य हैं तथा मैं इनका नियममित रूप से पालन करूंगा / करूंगी। इसके लिए मैं दुग्ध संघ के साथ अनुबन्ध करने का तैयार हूँ। निर्धारित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर मेरा मिल्क बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर:—

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

सहायक विक्रय प्रतिनिधि की टिप्पणी

1. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने का दिनांक.....वापसी/जमा दिनांक.....
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर अनुबन्धित वाहन जा सकता है- (हाँ/नहीं)
3. प्रस्तावित स्थान के पास अन्य ब्राण्ड के बूथ/एजेंसी का विवरण:-

क्र०सं०	ब्राण्ड का नाम	बूथ/एजेंसी संख्या	प्रस्तावित स्थल से दूरी मीटर	प्रतिदिन की औसत बिक्री ली०
1	2	3	4	5

4. मिल्क बूथ आंवटन के बारे में रिपोर्ट.....

.....

सहायक विक्रय पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर:-

मिल्क बूथ/स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

धरोहर धनराशि रूपये.....द्वारा डी०डी०/चैक नम्बर.....धनराशि.....
.....बैंक का नाम.....द्वारा प्राप्त किया।

बूथ संख्या.....आंवटित करते हुए दिनांक.....से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रभारी विपणन